

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
हिमाचल प्रदेश राज्य से सम्बन्धित
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा
प्रतिवेदनों का सारांश



इस संराशि में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अधिक महत्वपूर्ण मामलों का केवल संशोधित विवरण सम्मिलित है। यद्यपि हमारा यह प्रयास रहा है कि इस प्रलेख का संशोधन जारी रखा जाये, मूल प्रतिवेदनों जैसा ही तथापि तथ्यों तथा आंकड़ों की प्रामाणिकता हेतु मूल प्रतिवेदनों का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण हेतु सम्पर्क किए जाने वाले अधिकारियों के नाम और दूरभाष संख्या इस प्रकाशन के पिछले कवर के भीतर के पृष्ठ पर प्रदिए गए हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों/समीक्षाओं के प्रारूप संबंधित विभाग के प्रधान सचिव को उनकी टिप्पणियों के लिए अधीश्वर किए जाते हैं ताकि उन्हें राज्य विधानसभा को प्रस्तुत करने से पूर्व उन पर सरकार के विचार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जा सकें। विवरण विभाग में निर्धारित किया है कि प्रारूप परिच्छेदों का निपटारा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और सम्बन्धित विभाग की टिप्पणियां लेखापरीक्षा की छः सप्ताह की अवधि के भीतर रखी जानी चाहिए। तथापि, अधिकारिता मामलों में विभागों ने प्रारूप परिच्छेदों पर निर्धारित समय में टिप्पणियां प्रस्तुत करने में प्रावधान का पालन नहीं किया।

उपरोक्त उक्त पर अपने टिप्पणियों तथा सिफारिशों से अनिर्वहित प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करते हैं। को प्रस्तुत करना होता है। सामान्य कुछ परिच्छेदों/समीक्षाओं को विस्तृत जांच हेतु वृत्त चयन करती हैं तथा उसके स्वयंसेवक की गई कार्रवाई की टिप्पणियां, निम्नोक्त लेखापरीक्षा द्वारा जारी विवरण जांच की गई हैं। सम्बन्धित समिति लोक उद्यम समिति की भेजा जाता है। सरकारी विभागों को सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों तथा समीक्षाओं पर विभाग के संघ में लोक लेखा समिति की तथा आर्थिक क्षेत्र प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) के संघ में राज्य के विवरण, सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम), राजस्व क्षेत्र तथा किन्नोर विधानसभा को प्रस्तुत राज्य सरकार के लेन-देनों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को उन्हें विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं।

यह संराशि 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए विभागत प्रदेश सरकार से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राज्य के विवरण, सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम), राजस्व क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) तथा किन्नोर विभाग) के महत्वपूर्ण विषयों की झलक प्रस्तुत करता है। इन प्रतिवेदनों में विभागत प्रदेश सरकार, सरकारी कम्पनियों तथा सार्वजनिक विभागों के विवरणों की लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष सम्मिलित हैं। अन्य लेखापरीक्षा अपेक्षित, जो इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हैं, उनके निपटारा हेतु सम्बन्धित निबंधन अधिकारियों और कार्यपालकियों के साथ मामला उठया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकार के विवरण लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान यान में आए निष्कर्षों के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्यपाल को भेजते हैं, जो



क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पृष्ठ संख्या
1	राज्य के विन	1
2	सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सांख्यिकीय क्षेत्र उपक्रम)	7
3	राजस्व क्षेत्र	16
4	आर्थिक क्षेत्र (सांख्यिकीय क्षेत्र उपक्रम)	26
5	किरीट विन	34



राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग-क: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	9,142	9,308	10,346	12,711	14,543^S
(i) कर राजस्व	1,958 (21)	2,242 (24)	2,574(25)	3,643(29)	4,108 (28)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,092 (56)	1,246 (56)	1,487(58)	2,101(58)	2,477 (60)
राज्य आबकारी	389 (20)	432 (19)	500(19)	562(15)	707 (17)
वाहन कर	114 (6)	136 (6)	134(5)	163(4)	176 (4)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	87 (4)	98 (4)	113(4)	133(4)	155 (4)
विद्युत कर एवं शुल्क	82 (4)	79 (4)	39(2)	302(8)	185 (5)
भू-राजस्व	2 (--)	20 (1)	15(1)	5(0.1)	18 (11)
माल व यात्री कर	55 (3)	62 (3)	89(3)	93(3)	94 (2)
अन्य कर	137 (7)	169 (7)	197(8)	284(8)	296 (7)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,823 (20)	1,756(19)	1,784(17)	1,695(13)	1,915 (13)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राश्यांश	794 (9)	838 (9)	862 (8)	1,715(13)	1999 (14)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4,567(50)	4,472(48)	5,126(50)	5,658(45)	6,521 (45)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	--	----	--	646	--
3. ऋणों व अग्रिमों की वसुलियाँ	26	21	34	73	25
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	9,168	9,329	10,380	13,430	14,568
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	1,849	2,249	2,553	2,411	1,984
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,798 (97)	2,237 (99)	2,484 (97)	2,372 (98)	1,904 (96)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	-	--
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	51 (3)	12 (1)	69(3)	39	80 (4)
6. समर्पित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	11,017	11,578	12,933	15,841	16,552
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	6,223	6,760	6,821	8,507	9,237
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	17,240	18,338	19,754	24,348	25,789

^S बुक समायोजन के रूप में ₹ 32.43 करोड़ की राशि सम्मिलित है। कोष्ठकों के आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

भाग-ख: व्यय/ संवितरण					
10. राजस्व व्यय	8,292	9,438	11,151	13,946	13,898
योजनागत	1,202 (14)	877 (9)	1,238(11)	1,652(12)	1,701 (12)
गैर-योजनागत	7,090 (86)	8,561 (91)	9,913 (89)	12,294(88)	12,197(88)
सामान्य सेवाएं (व्याज अदायगीयों सहित)	3,429 (41)	3,918 (42)	4,377(39)	5,279(38)	5,690 (41)
सामाजिक सेवाएं	2,876 (35)	3,332 (35)	3,902(35)	4,979(35)	5,147 (37)
आर्थिक सेवाएं	1,984 (24)	2,184 (23)	2,868 (26)	3,682(26)	3,049 (22)
सहायता अनुदान व अंशदान	3 (--)	4 (--)	4 (--)	6 (--)	12 (--)
11. पूंजीगत व्यय	1,414	2,079	1,943	1,789	1,810
योजनागत	1,313 (93)	1,992 (96)	1,895(98)	1,774(99)	1,764 (97)
गैर-योजनागत	101 (7)	87 (4)	48(2)	15(1)	46 (3)
सामान्य सेवाएं	59 (4)	64 (3)	63(3)	73(4)	73 (4)
सामाजिक सेवाएं	586 (42)	833 (40)	610(31)	611(34)	372 (21)
आर्थिक सेवाएं	769 (54)	1,182 (57)	1,270(65)	1,105(62)	1,365 (75)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	14	90	70	227	493
13. जोड़ (10+11+12)	9,720	11,607	13,164	1,5962	16,201
14. लोक ऋण की चुकोतियां	937	885	867	870	1,128
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	839	829	811	808	1,034
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	42	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	56	56	56	62	94
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	10,657	12,492	14,031	16,832	17,329
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	5,737	5,690	6,421	7,162	8,526
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	16,394	18,182	20,452	23,994	25,855

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष की प्रतिशतताओं (पूणांक) को दर्शाते हैं।

भाग - ग: घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/ राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(+) 850	(-) 130	(-) 805	(-)1235	(+)645
21. राजकोषीय घाटा (-)/ राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 552	(-) 2,278	(-) 2,784	(-)2,532	(-) 1,633
22. प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (21+23)	(+) 1,151	(-) 384	(-) 828	(-)582	(+)497
भाग - घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,703	1,894	1,956	1,950	2,130
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	467	582	718	849	981
25. प्राप्त किए गए अर्धोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष (दिवस)	--	--	--	--	--
प्राप्त किए गए अर्धोपाय अग्रिम (दिवस)	--	--	--	--	--
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष (दिवस)	--	--	--	--	--
26. अर्धोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष पर ब्याज	--	--	--	--	--
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद ^{**}	33,963 (12.2)	41,483 (22.1)	46,969 (13.2)	54,695 (16.4)	63,084 (15.3)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	19,419	21,819	23,713	26,415	28,228
29. बकाया गारन्टियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	2,632	2,291	1,949	3,910	3,316
30. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	6,450	6,076	4,361	6,232	6,208
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	20	17	29	11	13
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	121	96	108	86	930
भाग - ङ: राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वकीय कर राजस्व/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.05	0.05	0.07	0.07
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.29	0.28	0.28	0.29	0.26
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	1.06	1.25	1.27	1.26	1.11
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.85	0.81	0.85	0.87	0.86
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय	0.36	0.36	0.34	0.35	0.34
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय	0.28	0.29	0.31	0.30	0.27
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	0.15	0.18	0.15	0.11	0.11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	0.14	0.17	0.14	0.11	0.11

* बुक समायोजन के रूप में ₹ 32.43 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

@ सरकार द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया है।

III राजकोषीय असंतुलों का प्रबन्धन (प्रतिशत में)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.50	(-) 0.31	(-) 1.71	(-) 2.26	(+) 1.02
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.63	(-) 5.49	(-) 5.93	(-) 4.63	(-) 2.59
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.39	(-) 0.93	(-) 1.76	(-) 1.07	(+) 0.79
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	लगू नहीं	(-) 5.71	(-) 28.92	(-) 48.78	लगू नहीं
प्राथमिक राजस्व शेष/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-) 0.025	(-) 0.049	(-) 0.059	(-) 0.058	(-) 0.024
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबन्धन					
राजकोषीय दायित्वों/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.57	0.53	0.50	0.48	0.45
राजकोषीय दायित्वों/ राजस्व प्राप्ति	2.12	2.34	2.29	2.07	1.94
प्रमात्रा विस्तार के प्रति प्राथमिक घाटा	1.741	(-) 0.153	(-) 0.823	(-) 0.284	(+) 0.250
ऋण विमोचन (मूलधन-व्याज)/ कुल ऋण प्राप्तियां	1.02	0.92	0.94	0.22	0.23
V अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	0.52	89.58	73.49	64.11	85.65
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(+) 113	(-) 1,423	(-) 2,642	(-) 2607	(-) 1,529
वित्तीय परिसम्पत्तियां/ दायित्व	0.60	0.68	0.67	0.66	0.70
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	8,292	9,438	11,151	13946	13898
वृद्धि दर (प्रतिशत) राजस्व व्यय	8.48	13.82	18.15	25.06	(-) 0.34
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	7,090	8,561	9,913	12294	12197
वृद्धि दर (प्रतिशत) आयोजनेतर राजस्व व्यय	12.20	20.75	15.79	24.01	(-) 0.79
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,202	877	1,238	1652	1701
वृद्धि दर (प्रतिशत) योजनागत राजस्व व्यय	(-) 9.28	(-) 27.04	41.16	33.44	2.97
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.88	20.64	21.11	22.48	19.33
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	85.43	81.95	85.16	88.63	85.78
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	72.94	73.76	75.30	77.02	75.29
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	77.55	91.97	95.81	96.72	83.87
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	85.50	90.70	88.90	88.15	87.76
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	14.50	9.30	11.10	11.85	12.24
के साथ राजस्व व्यय की उल्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.70	0.63	1.38	1.53	(-) 0.02
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.51	7.59	1.63	1.09	(-) 0.02
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	0.70	0.67	1.15	1.04	(-) 0.43
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	(-) 0.91	(-) 0.51	0.44	0.75	(-) 0.12

1

कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित नहीं है।

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान की गई है।

प्रतिवेदन की रचना तीन अध्यायों में की गई है अर्थात् 'राज्य सरकार के वित्त', 'वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण' तथा 'वित्तीय सूचना'।

राज्य सरकार के वित्त

राज्य सरकार के वित्त लेखे उपयुक्त वर्गीकरणों के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा व्यय दोनों से सम्बन्धित सभी लेन-देनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। सरकारी लेखों में सभी लेन-देनों के सारांश के अतिरिक्त वित्त लेखे में (क) ऋण स्थिति का सारांश, (ख) राज्य सरकार के ऋण तथा अग्रिम, (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां तथा (घ) बकायों के सारांश सम्मिलित हैं। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा उस पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नवत् हैं:

वित्त लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण				
विभिन्न मदें	2010-11	2011-12	विभिन्न मदें	2010-11	2011-12		कुल
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	योजनागत	
प्रवर्ग- क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	12,711	14,543 ¹	राजस्व व्यय	13,946	12,197	1,701	13,898
कर राजस्व	3,643	4,108	सामान्य सेवाएं	5,279	5,655	35	5,690
कर-भिन्न राजस्व	1,695	1,915	सामाजिक सेवाएं	4,979	4,209	938	5,147
संघीय करों/ शुल्कों का भाग	1,715	1,999	आर्थिक सेवाएं	3,682	2,321	728	3,049
भारत सरकार से अनुदान	5,658	6,521	सहायता अनुदान एवं अंशदान	6	12	--	12

¹ बुक समायोजन के रूप में ₹ 32.43 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

प्रवर्ग-ख: पूंजीगत							
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	646	--	पूंजीगत परिव्यय	1,789	46	1,764	1,810
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	73	25	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	227	15	478	493
लोक ऋण प्राप्तियाँ	2,411	1,984	लोक ऋण की चुकौती	870	--	1,128	1,128
आकस्मिकता निधि	--	--	आकस्मिकता निधि	--	--	--	--
लोक लेखा प्राप्तियाँ	8,507	9,237	लोक लेखा संवितरण	7,162	--	--	8,526
अथ रोकड़ शेष	281	635	अन्त रोकड़ शेष	635	--	--	569
योग	24,629	26,424	योग	24,629			26,424

राजकोषीय शुद्धि पथ

2011-12 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.59 प्रतिशत था, जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा बनाए गए प्रक्षेपणों के मध्य (अर्थात् तीन प्रतिशत) था। 2011-12 के दौरान, ₹ 1,633 करोड़ का घाटा मुख्यतः बाजार से लिए गए उधारों (₹ 922 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधि आदि (₹ 636 करोड़), एन0एस0एस0एफ0 को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों (₹ 127 करोड़) तथा जमा अग्रिमों (₹ 178 करोड़) के कारण था। बाजारी ऋणों तथा लघु बचतों भविष्य निधि आदि सब ने मिलकर घाटे के 95 प्रतिशत में अंशदान दिया जो भविष्य में ब्याज के भार में वृद्धि करेगा।

राजस्व अधिशेष

2010-11 में ₹ 1235 करोड़ का राजस्व घाटा चालू वर्ष के दौरान ₹ 645 करोड़ के राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया। राजस्व अधिशेष मुख्यतः विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1832 करोड़ (14.41 प्रतिशत) की वृद्धि तथा राजस्व व्यय में ₹ 48 करोड़ की कमी के कारण था।

केन्द्रीय अंतरणों पर निर्भरता

2011-12 के दौरान केन्द्रीय कर अंतरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 8,520 करोड़) राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 59 प्रतिशत था।

राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि

राज्य की राजकोषीय देयताएं 2007-08 में ₹ 19,419 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 28,228 करोड़ (45.36 प्रतिशत) हो गईं। ये देयताएं 2011-12 के अंत में राजस्व प्राप्तियों का 1.94 गुणा रही। राज्य सरकार को अन्य ऋणों तथा ऋण दायित्वों के साथ-साथ बाजार उधारों के परिशोधन हेतु बारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा सिफारिश संचित शोधन निधि को स्थापित करना अपेक्षित था, परन्तु उसे अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

**अविकासात्मक व्यय एवं
ब्याज अदायगियां**

सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज अदायगियों सहित), जिसे अविकासात्मक व्यय के रूप में माना जाता है, 2007-08 में 35.88 प्रतिशत से घट कर 2010-11 में 33.53 प्रतिशत हो गया, किन्तु 2011-12 में बढ़ कर 35.57 प्रतिशत हो गया। ब्याज अदायगियां 2007-08 में ₹ 1,703 करोड़ से 25 प्रतिशत तक बढ़कर 2011-12 में ₹ 2,130 करोड़ हो गईं। 2010-11 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियां बढ़कर ₹ 180 करोड़ हो गईं। ब्याज अदायगियां तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों (₹ 1,899 करोड़) से बढ़ गईं, परन्तु वर्ष 2011-12 के लिए मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में बनाए गए प्रक्षेपणों (₹ 2,151 करोड़) से कम थी।

**वेतन तथा मजदूरी पर
अधिक व्यय**

2011-12 के दौरान वेतन तथा मजदूरी पर ₹ 6,215 करोड़ का व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण (₹ 5,882 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से ₹ 333 करोड़ (छः प्रतिशत) अधिक था, जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

निवेशों से नगण्य प्रतिफल

सरकार ने 2011-12 के अंत तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 2,448 करोड़ का निवेश किया था। जबकि सरकार ने 2007-12 के दौरान बाजार से 8.49 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से उच्च लागत पर उधार उठाए थे, इसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिफल 2.46 प्रतिशत था।

**राज्य सरकार द्वारा ऋण
एवं अग्रिम**

सरकार को 2011-12 के दौरान बकाया ऋण की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियों का 2.21 प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुआ। तथापि, इस अवधि के दौरान उधारों पर आठ प्रतिशत ब्याज की अदायगी की गई।

निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण

2011-12 के दौरान भारत सरकार ने बजट के माध्यम से निधियों का अंतरण करने की बजाय ₹ 1,416 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की। इन निधियों से व्यय के अनुश्रवण हेतु राज्य में कोई भी अभिकरण नहीं हैं।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों के निर्दिष्टानुसार विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक् रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा जो बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखे के सम्पूरक हैं।

विनियोजन लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत					
I राजस्व	13307.83	248.39	13556.22	13475.37	(-) 80.85
II पूंजीगत	1535.51	407.44	1942.95	1870.50	(-) 72.45
III ऋण एवं अग्रिम	207.22	156.05	363.27	492.98	(+) 129.71
कुल दत्तमत	15050.56	811.88	15862.44	15838.85	(-) 23.59
प्रभारित					
IV राजस्व	2184.24	5.26	2189.50	2165.05	(-) 24.45
V पूंजीगत	--	4.89	4.89	4.89	--
VI लोक ऋण- चुकीती	960.84	138.40	1099.24	1127.72	(+) 28.48
कुल प्रभारित	3145.08	148.55	3293.63	3297.66	(+) 4.03
आकस्मिकता निधि को विनियोजन (यदि कोई हो)					
	--	--	--	--	--
सकल जोड़	18195.64	960.43	19156.07	19136.51	(-) 19.56

* निधियों के उपयोग में कमी

बचत/आधिक्य

वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदानों/ विनियोजनों के अंतर्गत पूंजीकृत ₹ 19.56 करोड़ की समग्र बचत/अप्रयुक्त राशि, राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत दो अनुदानों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत चार अनुदानों व एक विनियोजन में ₹ 752.51 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिस्तुलित किया गया, राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत 30 अनुदानों व छः विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत 21 अनुदानों में ₹ 772.07 करोड़ की बचत के फलस्वरूप था।

अधिक व्यय को नियमित न करवाना

2008-2011 के दौरान विधानसभा द्वारा संस्वीकृत राशि से सरकार द्वारा ₹ 3681.96 करोड़ के किए गए अधिक व्यय को अभी नियमित किया जाना था। इसके अतिरिक्त 2011-12 के दौरान छः अनुदानों तथा एक विनियोजन में किए गए ₹ 752.51 करोड़ के सकल व्यय का भी संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमन अभी अपेक्षित है।

अनुपूरक अनुदान

वर्ष के दौरान सात मामलों में ₹ 41.06 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, जो प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक था, अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं आया। तीन मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) में ₹ 390.83 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान ₹ 179.76 करोड़ के सकल अनावृत्त अधिक व्यय को छोड़ता हुआ अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विवेकहीन पुनर्विनियोजन

विवेकहीन पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा इसके फलस्वरूप 198 उप-शीर्षों में ₹ 10 लाख से अधिक की बचत/ आधिक्य हुआ। 50 उप-शीर्षों में आधिक्य/ बचत ₹ दो करोड़ से अधिक थी। तीन मामलों जिनमें पुनर्विनियोजन किए गए में ₹ 100 करोड़ और अधिक की पर्याप्त बचत/ आधिक्य पंजीकृत की गई जो इंगित करता है कि सम्बन्धित स्कीमों के अंतर्गत 2011-12 के बजट में आकलित एवं योजनाबद्ध के अनुसार निधियों का व्यय नहीं किया जा सका।

बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल

2007-2012 के दौरान सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से बत्तीस आहरण तथा संवितरण अधिकारियों ने ₹ 35.44 करोड़ की राशि का आहरण किया। इसके प्रति जुलाई 2012 तक ₹ 22.76 करोड़ के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल उनसे लंबित थे।

वित्तीय सूचना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों का राज्य सरकार की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा कार्य स्थिति प्रदान करता है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

मार्च 2012 तक विभिन्न विभागों से अनुदानों तथा ऋणों से सम्बन्धित ₹ 924.60 करोड़ के देय उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार को भेजे जाने शेष थे, जिनमें ₹ 8.35 करोड़ के 690 उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्मिलित थे जो तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं।

दुर्विनियोजनो, हानियों, चूकों, इत्यादि के लंबित मामले

एक वर्ष से 25 वर्षों तथा इससे अधिक की अवधि के दौरान ₹ 78.26 लाख से अंतर्ग्रस्त 49 मामलों में से ₹ 17.86 लाख (23 प्रतिशत) से अन्तर्ग्रस्त 15 मामलों में विभागीय कार्रवाई तथा आपराधिक जांच प्रतीक्षित थी।

हूँ आ। इसके अतिरिक्त स्थानीय मामलों का समाधान न करने के कारण अनिर्वाह पर हस्ताक्षर न किया जाना जैसे कुछ कारणों से प्रभावित स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यान्वयन द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनो का अनुमोदन न किया जाना और तीव्र गति से नहीं हो सका तथा व्यवहार्यता अध्ययन न करना विभाग 315.35 मंगावाट की कुल क्षमता वाली 40 परियोजनाओं का निष्पादन 1992 से 2011-12 के दौरान पूर्ण तथा परिचालित की गई।

से 1805.45 मंगावाट की केवल 55 (10 प्रतिशत) परियोजनाएं ही 10131 मंगावाट की क्षमता वाली कुल आवंटित 559 परियोजनाओं में नवम्बर 1991 से 2011-12 के दौरान स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का

विद्युत उत्पादकों के द्वारा जल विद्युत संभाव्यता का दोहन परियोजनाओं का निष्पादन तथा पूर्ण किया जाना

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मंगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करना। योजना के अंत (2011-12) तक जल विद्युत क्षेत्र के माध्यम से 9000 राज्य में विद्युत विकास की गति को तीव्र करना और 11वीं पंचवर्षीय

मुख्य उद्देश्य

निजी क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम से जल विद्युत का विकास

बहु उद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत विभाग

अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा

पर आधारित लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग में प्रशासकीय योजना का अभाव था। क्योंकि स्कीमों का कुशल तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने हेतु दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। महाविद्यालयों, बहुतकनीकी तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कमर्श: प्रशिक्षण स्टाफ के संवर्गों में कमी थी। अतः प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित था। संस्थानों को अवसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के प्रवास अपवर्षिक सिद्ध हुए, वार्षिक 96 संस्थानों में से 43 में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव था। विभाग में अनुभववाने तक भी विद्यमान नहीं था।

केवल 44 और 49 के मध्य रही।
 शेष तीन परियोजनाओं में योजनाएं उपलब्ध कराए जाने की प्रतिशतता
 था कि वार्षिक रूप में योजनाएं के अवसर उपलब्ध कराए गए तथा
 उपलब्ध कराए गए थे, किन्तु 19 योजनाओं में इसका कोई साक्ष्य नहीं
 निवासियों को 70 प्रतिशत की निर्धारित सीमा तक योजनाएं के अवसर
 यद्यपि 34 नमूना-जांचित परियोजनाओं में से 12 में हिमाचल के मूल

रिजर्वेशन के अवसरों का संयोजन करना

स्थितिकरण दोनों के लिए गम्भीर संकट डेटिंग कर रहा था।
 किया था, जो प्राकृतिक परिवर्तितिकी तथा पहली डेटिंगों के
 58 प्रतिशत नमूना जांचित परियोजनाओं ने शून्य बरीयण प्रतिवेदन
 परियोजना से सम्बन्धित कार्याकलापों में बहुत कमी थी, क्योंकि

नवीय परियोजना

(300 मीगावाट की चार इकाइयों) को वृद्धि की।
 निगम लिमिटेड ने स्वयं क्षमता में 1000 मीगावाट से 1200 मीगावाट
 विभाग के विफल रहने के कारण मेंसर्व जै0 एी0 करछम जल विद्युत
 पहले फर्म द्वारा प्रस्तुत जल विद्युत संयोजनों की समुचित जांच करने में
 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी आर्थिक अनुमति प्राप्त करने से
 के मध्य क्षमता वृद्धि की गई।

**वृद्धि करना
 उत्पादकों द्वारा क्षमता
 उपयुक्त स्वतंत्र विद्युत
 आवंटन करने के
 परियोजनाओं का**

आवंटन के उपरान्त स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा 40 तथा 1300 प्रतिशत
 क्षमता के 5 (पांच) मीगावाट तक की 29 लघु परियोजनाओं के
 संस्थागत तंत्र की विफलता के कारण 112.50 मीगावाट की प्राथमिक
 में अपूर्णताओं तथा हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास आयोग में
 लघु जल परियोजनाओं के संभाव्य स्थलों के पूर्व-व्यवहारिता अध्ययनों

13 से 113 मास का विलम्ब हुआ।
 95.80 मीगावाट की 27 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के पूर्ण होने में

अनुश्रवण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

अनुश्रवण तंत्र दुबई तथा थाईलैंड 2012 तक हिमाचल प्रदेशा भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली प्रारम्भ नहीं की गई थी।

संमित अनुश्रवण राज्य सलाहकार

अधिनियम बनने के 14 वर्ष से अधिक समय के विराम के उपरान्त गठित द्वारा अधिनियम के समुचित प्रशासन हेतु न तो कोई परामर्श दिया गया और न ही जुलाई 2012 तक कोई बैठक ही आयोजित की गई।

कल्याण स्कीमों का कार्यान्वयन

लाभार्थियों की पहचान तथा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण तथा कामगारों के लिए कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की उचित अग्रता प्रदान नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड के पास 31 मार्च 2012 की बैंक खातों में भारी राशियां (₹ 108.14 करोड़)

अप्रयुक्त पड़ी थी।

हिमाचल प्रदेशा भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा समीक्षा से उदघाटित हुआ कि राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिनियम का तीव्र गति से कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया गया तथा बोर्ड का गठन करने में 12 वर्ष से अधिक समय लगा।

भारत सरकार द्वारा अगस्त 1996 में अधिनियमित भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण अधिनियम की धारा 40 तथा 62 के अनुसरण में राज्य सरकार ने मार्च 2009 में हिमाचल प्रदेशा भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया।

हिमाचल प्रदेशा भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की कार्य प्रणाली

अनुश्रवण विभाग

अध्याय-III: विषयक लेखापरीक्षा

परिचयनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, परिवर्तना सूरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रक तथा प्रबन्धन प्रणालियां सुनिश्चित करने के लिए विभाग में निर्धारित अनुश्रवण तंत्र विद्यमान नहीं था।

अध्याय अनुश्रवण

सरकार को ₹ 1.26 करोड़ के व्यय की राशि हुई।
 रखने के कारण लेखों की जाचसंचा, निगम की अन्विष्ट सहपाता तथा
 पर निधियों का आरण तथा लोक निगम एवं निगम के निक्षेपों में
 फरवरी 2008 तथा मार्च 2011 के दौरान आलयकताओं के पूर्वनिगमन

निधियों का आरण

आलयकताओं के पूर्वनिगमन पर

ठेकेदार की अन्विष्ट लागत/परिहाय व्यय

₹ 18.07 लाख के सरकारी देवों की भी वसूलि नहीं हो पाई।
 हुआ तथा तीन वर्ष से अधिक समय तक एक ठेकेदार से
 परिणामस्वरूप अपूर्ण सडक पर ₹ 55.38 लाख का व्ययपूर्ण व्यय
 संरक्षण की तकनीकी व्ययवहाता सुनिश्चित करने में विफल रहने के
 लोक निगम विभाग द्वारा सोलन जिले में कंडाघाट-माही-कोल सडक

सडक निगम पर निरर्थक व्यय

अर्थात् लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।
 कागडा जिला के सात गांवों की समुचित सडक संयक प्रदान करने का
 सडक तथा अपूर्ण पुल पर ₹ 2.05 करोड़ का व्यय करने के बावजूद
 निगमन में लोक निगम विभाग के अकुशल इन्डिकेटर के कारण
 बनेर खड्ड पर रेलवे ओवर पुल के निगम में प्राप्ति न होने तथा पुल के

अधुन उद्देश्यों की उपलब्ध न

होना

पर ₹ 1.04 करोड़ का अलायकता व्यय हुआ।
 मुक्त भीम सुनिश्चित करने में विफल रहने के फलस्वरूप अपूर्ण कार्यों
 रामनगर, मंडौली, तरखौली, भूमल सडक के निगम हेतु बाधारहित
 दीपपूर्ण योजना तथा लोक निगम विभाग द्वारा दो पुलों सहित परसडे,

आलयकता व्यय

अपूर्ण सडक के निगम पर

कारण ₹ 4.67 करोड़ का अलायकता व्यय हुआ।
 पुल के कार्य की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने में विफल रहने के
 लोक निगम विभाग द्वारा कुल जिला के दो गांवों के लिए सडक तथा

सडक तथा पुल पर अलायकता व्यय

अतिरिक्त, अधिक भ्रानान, निरर्थक/निफल व्यय

अध्याय-IV: लेन-देनों की लेखापरीक्षा

विशेष लागू भी दिया गया।
 देयताओं की अवधियों को द्वारा ठेकेदार को ₹ 1.44 करोड़ अर्जित
 ₹ 1.92 करोड़ का व्यय अनुपादक रहा। इसके अतिरिक्त, सरकारी
 निर्णय से कार्यों का परिष्कार किया गया तथा अर्थात् सड़कों पर
 सड़क यात्रा के अंतर्गत सड़क का कार्य संपन्न के अतिरिक्त
 द्वारा ठेकेदार के अनुभवहीन कार्यों उल्लिखित की प्रथम-परी
 मानक बोली दस्तावेजों में किसी प्रबंधन के बिना लोक निर्माण विभाग

अनुपादक व्यय तथा एक
 ठेकेदार की अर्जित लागू

अभिप्रेत कार्यों से वर्तित रहे।
 अथवा में दो से तीन वर्षों तक अनुभवक पड़ी रही, जिससे लागू
 ₹ 2.90 करोड़ की राशि आह्वित की गई जो बांधाहिन स्थलों के
 महविद्यालय, विद्यालय में प्रशासनिक खण्ड के निर्माण के लिए
 श्री नेमा देवी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा इंदिरा गांधी चिकित्सा

निधियों का अवरोधन

तथा चार वर्ष तक बैंक में ₹ 1.75 करोड़ का अवरोधन हुआ।
 के प्रकार व्यक्तियों की प्रारम्भिक दंडना सहयोग से वर्तित रहा गया
 लिए समय पर निविदाओं को अन्तिम रूप में देने के फलस्वरूप दुर्घटना
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिगत बहन प्राप्त करने के
 वर्तित हुआ।

दंडना के नीचे एवं उप-संघर्ष का
 नी-र-अभिप्रेत

स्वास्थ्य संस्थाओं में लोगों की अभिप्रेत चिकित्सा सुविधाओं का
 ₹ 1.50 करोड़ का अवरोधन हुआ तथा समस्त राज्य की विभिन्न
 हेतु विशेष इकाइयों संस्थापित करने में विकल रहने के परिणामस्वरूप
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नवजात बच्चों की देख-रेख

निधियों का अवरोधन

कनकेशन के अथवा में अगस्त 2008 से प्रथम नहीं किया जा सका।
 गया ₹ 1.81 करोड़ का व्यय अनुपादक सिद्ध हुआ, क्योंकि वर्तित
 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के निर्माण पर किया
 नेवाजी सुभाष चन्द्र बोस मेमोरियल राजकीय महविद्यालय, हमीरपुर के

छात्रावास के निर्माण पर
 अनुपादक व्यय

अनुपादक व्यय/निर्धक निवेश/निधियों का अवरोधन/निधियों का विवरण

पुल के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय

लोक निर्माण विभाग द्वारा एक फर्म को तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चित किये बिना बागचल (जिला बिलासपुर) में 290 मीटर स्लैन के प्री-स्ट्रेस स्पैन्डल आर्क का पुल निर्माण कार्य सौंपने के अविवेकपूर्ण निर्णय से ₹ 21.31 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

नियमितता तथा अन्य मामले

निधियों का कम निस्तारण

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को प्रभावी करने में विभागीय विफलता के फलस्वरूप अनुसूचित जाति समुदाय के आवासीय क्षेत्रों के लिए ₹ 3.10 करोड़ की राशि की निधियों का कम निस्तारण हुआ।

अध्याय-V: सरकारी विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी पर आधारित लेखापरीक्षा (तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण)

राज्य में तकनीकी शिक्षा प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से हिमाचल प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। विभाग के अधिदेश को मध्यदृष्टि रखते हुए, मुख्य कार्यकलापों की मितव्ययिता, कुशलता तथा प्रभाविता की जांच करते हेतु 2007-12 की अवधि को लेखापरीक्षा में आवृत्त करते हुए, की गई। मुख्य निष्कर्ष निम्न है:

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अवसरचना का अभाव

समुचित अवसरचना का अभाव था जैसा कि 84 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 42 तथा 10 बहुतकनीकी संस्थानों में से सात में पर्याप्त अवसरचनात्मक सुविधाएं नहीं थी, 67 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाएं नहीं हैं तथा स्टाफ के लिए कोई आवासीय सुविधा नहीं है।

सिविल कार्यों का निष्पादन

सिविल कार्य अभियंत्रिकी एवं औषधि महाविद्यालयों, बहुतकनीकी संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्रावास इत्यादि के भवनों जैसे सिविल कार्यों का निष्पादन उचित योजना तथा निश्चित समयावधि के बिना किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, 2009-2012 के दौरान ₹ 2.11 करोड़ की अतिरिक्त लागत तथा दो से सात वर्षों के अतिरिक्त समय में 29 निर्माण कार्यों में से मात्र चार कार्य पूर्ण हुए। इसके अतिरिक्त आठ कार्यों का निष्पादन जो ₹ 15.27 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत हुआ और जिन्हें मार्च 2002 से मार्च 2011 के बीच पूर्ण

किया जाना निर्धारित था, कार्य स्थलों की अनुपलब्धता तथा नवशों को अन्तिम रूप नहीं देने के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका। शेष 17 कार्य (अनुमानित लागत ₹ 135.96 करोड़) जून 2012 तक ₹ 93.06 करोड़ का व्यय करने के उपरांत भी पूर्णता की निर्धारित तिथि से दो से 12 वर्षों से अधिक समय पीछे थे।

स्टाफ की कमी

स्टाफ की अत्यधिक कमी थी, विशेषतः शिक्षण एवं शिक्षण सहायक कर्मचारी की। मार्च 2012 को विभिन्न संस्थानों में उपरोक्त स्टाफ की कमी का प्रतिशत क्रमशः 23 से 72 तथा 45 से 70 था। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों से सम्बन्धित निधियों का प्रयोग न करना

2007-12 के दौरान चार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ₹ 85.71 करोड़ की कुल प्राप्ति के प्रति विभाग मार्च 2012 तक तकनीकी संस्थानों की अवसंरचना तथा उपकरणों पर ₹ 19.87 करोड़ का व्यय करने में विफल रहा।

नई बहुतकनीकियों को स्थापित न करना

₹ 10.12 करोड़ की केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता के बावजूद मार्च 2012 तक राज्य के गैर-सेवारत/ अल्प सेवारत पांच जिलों में नई बहुतकनीकियों की स्थापना नहीं की गई, यद्यपि 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की अवधि के दौरान इन्हें संस्थापित करना परिकल्पित था।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नयन

कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 8.31 करोड़ की निधियों का निस्तारण होने के बावजूद 11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में उन्नयन निर्धारित नौ मास की अवधि के भीतर भवनों का निर्माण नहीं होने के कारण बाधित रहा; तीन मामलों में ₹ 1.52 करोड़ की निधियां आकलनों तथा निविदा प्रक्रिया को अन्तिम रूप न देने के कारण कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अप्रयुक्त रही; मई 2012 तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छः भवनों का निर्माण पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से दो वर्षों से अधिक से पीछे था तथा दो मामलों में विवादित स्थल के कारण अगस्त 2011 से कार्य स्थगित रहा।

लेखापरीक्षा भी विद्यमान नहीं था।
 कम एक बार) नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग में आन्तरिक
 सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निरीक्षण (प्रत्येक विमाही में कम से
 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली पर प्रभावशाली निवेदन
 नमूना-जांचित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2007-12 के दौरान

उपलब्धता के प्रति केवल ₹ 6.95 करोड़ का उपयोग कर सकें।
 परिणामस्वरूप संवर्धित संस्थान ₹ 11.25 करोड़ की ऋण सहायता की
 अपूर्णता के कारण परिकल्पित उन्नयन मार्च 2012 तक अपूर्ण रहे।
 नौ नमूना-जांचित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थित कार्य की
 प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करने के लिए वर्णित किया गया था।
 लोक वैयक्तिक सहभागिता के माध्यम से राज्य में तीस औद्योगिक

अनुभव तथा निरीक्षण

स्थानों का उन्नयन
 माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण
 लोक वैयक्तिक सहभागिता के

राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिचय

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती हैं। यह खण्ड, वर्ष 2011-12 हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित है।

इस प्रतिवेदन में ₹ 722.39 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से समाविष्ट कर, शुल्क तथा ब्याज शास्ति इत्यादि के अनुद्ग्रहण/ कम उद्ग्रहण पर विभिन्न विभागों के कार्यचालन पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं। सरकार/ विभाग ने ₹ 175.62 करोड़ से समाविष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की थी, जिसमें से ₹ 1.06 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी।

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2011-12 के लिए राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां ₹ 14,542.86 करोड़ थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अपने संसाधनों के माध्यम से जुटाया गया राजस्व ₹ 6,023.12 करोड़ था, जो कुल राजस्व का 41 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया था। प्राप्तियों का शेष 59 प्रतिशत अर्थात् ₹ 8,519.74 करोड़ भारत सरकार से सहायता अनुदान तथा विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की निवल आय के राज्यांश के रूप में प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजस्व विभाग

“सूचना प्रौद्योगिकी की पहलू सहित स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

परित्यक्त राजस्व के डाटाबेस का अभाव

छूट प्रदान करने के कारण पंजीकरण महानिरीक्षक के पास जमा किए गए राजस्व का डाटा उपलब्ध नहीं था, ये उप पंजीयकों के पास भी उपलब्ध नहीं था। क्योंकि इसका परिकलन करने के लिए ‘हिमरिस’ सॉफ्टवेयर में अथवा अन्यथा कोई प्रावधान नहीं था।

राजस्व के बकायों का अनुश्रवण न करना

विभाग ने राजस्व के बकायों को इंगित करने के लिए एक प्रपत्र निर्धारित करने हेतु, जिसे प्रत्येक उप पंजीयक द्वारा मासिक रूप से पंजीकरण महानिरीक्षक को भेजा जाना था, एक प्रबन्धन सूचना प्रणाली नहीं बनाई थी।

शुल्क तथा पंजीकरण फीस की वसूली के बिना था। इसी प्रकार सम्पत्ति प्रलेख का पूर्ण साक्ष्य मूल्य था, किन्तु ऐसा ₹ 56.07 लाख के स्टाम्प ड्यूटी द्वारा किए गए शुल्क पूर्ण रूप से सुरक्षित थे, क्योंकि सांख्यिकीय पंजीन बैंकों के पक्ष में नामांतरण सांख्यिकीय कर दिए। इस प्रकार निरीक्षण करते समय प्रबंधकों की उधेखा की तथा पंजीकृत बैंकों की रिजिस्ट्रारों में प्रविष्ट की गई थी। उप पंजीकृतों ने 42.36 करोड़ का अपेक्षित धन, जबकि 42.36 करोड़ द्वारा इनकी योजनाओं तथा नामांतरण रकमों के प्रति जुटाए गए धन की योजनाओं में प्रविष्टियों की जारी

अनुदान
 फीस का अनुदान
 स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण

धन का गठन हुआ। खजाने में जमा करवाया गया। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक सरकारी की राशि की न तो रोकड़ बही में प्रविष्ट की गई और न ही इसे पंजीकरण तथा विविध फीस के रूप में संग्रहित की गई ₹ 42.36 लाख

सरकारी धन का गठन

के कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था, जिसके प्रति केवल 25 उप पंजीकृत पंजीकरण महानिरीक्षक के द्वारा 650 उप पंजीकृत के कार्यालयों का निरीक्षण की निर्धारित सूची के अनुसार पंजीकृत, उप पंजीकृत तथा निरीक्षणों की निर्धारित सूची के अनुसार पंजीकृत, उप पंजीकृत तथा

अनुदान में अपेक्षित
 विभागीय निरीक्षणों तथा

के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की वसूली नहीं हो पाई। अधीनस्थ/खनन पदों तथा बांडों के जारी करने पर ₹ 3.49 करोड़ नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पथकर (टोल) संविदाओं, कार्य-व्यय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लोक कार्यालय घोषित अन्य कार्यालय की भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रबंधकों की पंजीकृतों तथा उप पंजीकृतों के कार्यालयों के अनिरीक्षित फीस

करना
 लोक कार्यालयों की घोषणा न

अन्य राज्यों ने देकटा किया। स्टाम्पों का राजस्व, जो अन्यथा राज्य राजकोष के पास आ सकता था, रही थी। इस प्रकार राज्य में उन लेन-देनों में प्रयुक्त होने वाले बीमा निर्माण मूल्य कार्यालय स्थित थे, जो स्टाम्प शुल्क की अदायगी कर खरीदे थे। वे गैर-बैंकिंग वितीय कम्पनियों अन्य राज्यों, बही इनके गैर-बैंकिंग वितीय कम्पनी ने राज्य के खजानों से बीमा स्टाम्प नहीं विभाजन प्रदेश में अपने व्यवसाय का प्रचालन कर रही किसी भी

देते तब का अधिनियम
 निजी बीमा कम्पनियों पर निषेध

संनिहित कर सके ।
 अधिकरणों की लोक कल्याण घोषित करके उनके साथ समन्वय
 लिए एक पद्धति बनाना जिससे पूर्वाकरण विभाग विभिन्न विभागों/
 शूल्क तथा पूर्वाकरण फीस की वसूली कर अंशजबण करने के
 • पूर्वाकरण विभाग की प्रस्तुत किए गए लेखपत्रों पर समुचित स्तम्भ
 राज्य सरकार विनोद पर विचार करे:

विभागीय

सम्बन्धित प्रलेख भी उपलब्ध नहीं है ।
 विनिर्देश, प्रणाली डिजाइन प्रलेख तथा प्रयोजन नियमावली जैसे
 करते हेतु संवाहन समिति नहीं बनाई थी। प्रयोजन आवश्यकता
 विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन के कार्यान्वयन का अंशजबण
 की वसूली नहीं की।

कंप्यूटरीकरण

पूर्वाकरण कार्यालयों में

अतिरिक्त विभाग नं ६ 88.26 करोड़ की पट्टा राशि की प्रतिकूल राशि
 के स्तम्भ शूल्क तथा पूर्वाकरण फीस की वसूली नहीं हो पाई। इसके
 विरुद्ध उत्पादकों के अधिपक्ष में थी। इसके फलस्वरूप ६ 2.85 करोड़
 पूर्वाकरणों के पास पट्टा विलेखों का पूर्वाकरण करवाए बिना यह स्वतंत्र
 84 विरुद्ध परिव्ययोजनाओं में अंतर्ग्रस्त सरकारी भूमि सम्बन्धित उप
 राजस्व की हानि हुई ।

पट्टा राशि वसूल किए बिना
 सरकारी भूमि का अंतरण

कम मूल्य पर बेचकर किए गए थे, जिसके फलस्वरूप ६ 32.30 करोड़ के
 दशाए गए मूल्य की तुलना में भूमि / सम्पत्तियों के मूल्यांकन प्रतिवेदन
 पट्टारिषों द्वारा पूर्ववर्ती 12 मासों के दौरान किए गए नामांतरणों में
 होना पड़े ।

पट्टारिषों द्वारा गलत मूल्यांकन
 प्रतिवेदन बेचार करना

छ: वर्षों की अवधि व्यतीत होने के बावजूद छ: जिला मूल्यांकन
 समितियों द्वारा स्थिति के आधार पर पर भूमि की दरों की अंतिम रूप नहीं
 दिया गया था जिससे ६ 1.43 करोड़ के संभाव्य राजस्व से वंचित
 फीस से वंचित रहना पड़े ।

जिला मूल्यांकन समिति द्वारा
 प्रस्तावित दरों की अंतिम रूप
 देने/अनुमोदित करने में विफल

के विनिमय से सम्बन्धित 357 लेखपत्र बेचकर नहीं किए गए थे तथा
 इन्हें पूर्वाकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप
 ६ 2.35 करोड़ के स्तम्भ शूल्क तथा ६ 23.19 लाख की पूर्वाकरण

वर्षित कर की अन्य बसूली हुई । फलस्वरूप ₹ 25.95 करोड़ के राजस्व तथा ₹ 3.36 करोड़ के मूल्य परिकल्पन करके विभाग की ₹ 9.89 करोड़ का भुगतान किया, जिसके डेडिटा खसार क्षेत्रों में लागू काम दरों पर निगम ने स्वयं संयोजित की अधिसूचित बहुरमूल्य तथा दूरवर्ती इलाकों के वर्गीकरण की अपनाने हुए बजट परिकल्पना द्वारा तथा स्थानांतरण प्रयोजनों के लिए वर्गीकरण नहीं किया था, तथापि पूर्ण दरों पर ₹ 35.84 करोड़ के काम दरों प्रभारित करने के लिए बहुरमूल्य तथा दूरवर्ती क्षेत्रों का कोई समूह निगम की दीर्घकालीन संघर्ष गणना में शामिल परिकल्पना में संयोजित की 11 मण्डलों में, ऊर्ध्व पर पाई जाने वाली इमारती लकड़ी के 188

काम संयोजित की दरों में विवेकपूर्ण

नहीं हुई । अधिसूचित निर्माण हुआ था तथा ₹ 1.38 करोड़ के क्षति विनिर्देशों की बसूली किया जिसके फलस्वरूप 42.9 किलोमीटर माप की 27 सड़कों का विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने वनों का निर्धारित निर्माण नहीं

प्रशासनिक विफलता

“वन प्रविष्टियों के प्रबंधन” पर निर्धारित लेखापरीक्षा

वन विभाग

- आभ्युक्तता अधिसूचित तथा प्रभावी एकीकरण प्राप्त करना ।
- सभी उप प्रयोजनों के कार्यालयों की आच्छादित करने हेतु समय सीमा निर्धारित करना ।
- आभ्युक्तता अधिसूचित, पूर्ण तथा प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी एकीकरणों से समस्त राज्य को आच्छादित करने के लिए एक सूचना पद्धति निर्धारित करना ।
- विशेष स्तर पर अनुश्रवण का निर्धारण करने हेतु सूचना प्रबन्धन प्रणाली के कार्यालयों के निर्धारित निर्माण की व्यवस्था करना ।
- सभी स्टाफ शून्यक तथा प्रयोजनों की फीस का उद्देश्यपूर्ण सूचिबद्ध करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी प्रयोजनों तथा उप प्रयोजनों के कार्यालयों के निर्धारित निर्माण की व्यवस्था करना ।

वर्षों के सड़ते हुए (अप्राय) आयतन को तय करने तथा निगम की वृद्धि के लिए समर्थनों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। साथ ही, इस आशय का प्रमाण पत्र कि वृद्धि से तीन मीटर लम्बाई का टीस कास्ट खण्ड/खंभा प्राप्त नहीं हुआ, अधिलिखित नहीं किया

रीपब्लिक की आतिथ्यमित्र श्रृंखला

का अवरोधन

निपटान न करने के कारण राजस्व
जब की गई इमारती लकड़ी का

216 मामलों में जब की गई 517.6127 घनमीटर इमारती लकड़ी का विभाग द्वारा निपटान नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप

₹ 2.27 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

करना

लिए समय अनुमति प्रदान करना

विधेयक राशि की अदायगी के

- अक्सर ली शोध बकपा देयों में गणितों को बटे खोते में खोने के लिए मामले सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने हेतु उचित कदम उठाएँ।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा को सौंप गए कर्तव्यों के संदर्भ में दिने अपने आदेशों को कार्यान्वित करें ताकि निगम/विभाग के सभी स्तरों पर कार्य पर नियंत्रण रखने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित हो,
- विभाग को क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा वर्गों का निरीक्षण, तथा वर्गों को विस्तृत करने, नियंत्रण एवं वृद्धि की समारोही लकड़ी के समूहों के कार्यों की समय-समय पर जाँची जाए अर्थात् तथा आदेशों की पालना की जाती है, को सुनिश्चित करने हेतु को जा रही है, एक तंत्र विकसित करने पर।
- प्रधान मुख्य अयुक्तपाल के नियंत्रणाधीन प्रत्येक इकाई के संदर्भ में एक वर्ष में वसूली योग्य बकपा तथा कुल देय राशियों, वसूल की गई/निगम द्वारा भुगतान की गई राशियों तथा निगम को दोहन हेतु सौंप गए समारोही लकड़ी तथा बची जा समूहों की संख्या का एक केन्द्रीकृत डाटा का अयुक्तपाल करें। निगम से देयों को वसूली तथा समूहों के दोहन के अयुक्तपाल से संम्बन्धित आन्तरिक प्रतिवेदनों को निर्धारित करें।

राज्य सरकार को विचार करना चाहिए:

विचारणीय

अतिरिक्त धी।
 ₹ 76.47 लाख (₹ 8.49 लाख मूल्य वर्धित कर सहित) की छूट
 के लिए अधिष्ठित था। इस प्रकार विभाग द्वारा निगम को अनुमत की गई
 गयी, जो सड़ें हुए (अयोग्य) वर्गों पर राशियों की छूट अनुमत करने
 के लिए 1.09 करोड़ के विभागीय प्रथम सरकार के राजस्व शीर्ष में जमा
 करवाने के बजाय इन्हें क्षतिपूर्ति बतानी तथा प्रत्येक एवं योग्य
 प्राधिकरण लेखा में जमा करवाया गया। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा
 तक के राजस्व की न्यूनता हुई।

विभागीय प्रथमों का जमा न
 करना/उद्ग्रहण न करना

निर्धारण प्राधिकारियों ने 22 व्यापारियों के मामलों में उनके द्वारा वास्तव में बेची गई खरीदों की तिकी पर आनुपूर्णांक आधार पर निवेश कर फ्रेडिट अग्रमत करने के बजाय ₹ 41.43 करोड़ की समस्त स्थानीय खरीदों पर निवेश कर फ्रेडिट अग्रमत किया था। इसके फलस्वरूप ₹ 49.63 लाख के अधिक निवेश कर फ्रेडिट की अनुमति दी गई।

अनुमति

निवेश कर फ्रेडिट की गलत

अनुपदेय/अनुपदेय/अनुपदेय हुआ।

अनुमति करने के परिणामस्वरूप ₹ 11.17 करोड़ के कर का तिकी तथा स्टॉक के अंतरण पर कर की अनिवार्यता बचायी दर इस्तीफा/अपूर्णा/दीर्घा/दीर्घा, को संस्थापन किए बिना अनुपदेय/दीर्घा पर, जो मूल 'सी' तथा 'एफ' फार्म में होने के बजाय

अनुपदेय

अनुपदेय तथा अनुपदेय फार्म की तिकी के कारण कर का

के कर की न्यायिता हुई।

अनिवार्यता कटौती अनुमति की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.16 करोड़ विभागीय द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के संदर्भ में सकल तिकी पर निर्धारण प्राधिकारियों ने विभागीय कार्यों का निष्पादन करने हेतु

सामग्री लागत की गलत कटौती

(1) तिकी, व्यापार इत्यादि पर कर/बैट

(क) आबकारी तथा करधारण विधान

ने-दे-न लेखापरीक्षा के परिणाम

- शास्त्र का प्रवधान करने हेतु उचित अनुपदेय जारी करें।
- वन मंत्रालय की पूर्व अनुमोदन के बिना अपराधिक गतिविधियों को जांच करने तथा ऐसी गतिविधियों पर निबंधन रखने के लिए
- सभी विभागों को गैर-बातचीत उद्देश्यों के लिए पर्यावरण एवं मान संवर्धन करने का कार्य करें तथा गलत/अनुपदेय/अनुपदेय के लिए
- निगम के साथ निवार्यता आधार पर गैर-वैध, अज्ञान, क्षति विनि, विस्तार शून्य इत्यादि तथा बची जा सकती, वृद्धि की संख्या का

(ii) राज्य आबकारी शुल्क

शीरे से स्पिरिट का कम उत्पादन

एक मद्यनिर्माणशाला में निर्धारित मानकों की तुलना में शीरे से 1,12,535 पूफ लीटर परिशोधित स्पिरिट का कम उत्पादन हुआ, जिसके फलस्वरूप ₹ 11.25 लाख के आबकारी शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

ब्याज तथा लाइसेंस फीस का दावा न करना

विभाग द्वारा एक बिक्री केन्द्र को सील कर के इस इकाई का पुनः आवंटन करने से सम्बन्धित निर्णय न लेने के कारण सरकार ₹ 7.11 लाख की वार्षिक लाइसेंस फीस तथा ब्याज से वंचित रही थी।

(ख) परिवहन विभाग

हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी यात्री वाहनों से विशेष पथ कर शास्ति की अल्प वसूली/ अवसूली

कुल ₹ 12.48 करोड़ के विशेष पथ कर की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा न तो मांग की गई और न ही हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी यात्री वाहनों द्वारा इसे जमा ही करवाया गया, जिसके फलस्वरूप उस सीमा तक विशेष पथ कर की वसूली नहीं हो पाई।

सांकेतिक कर की अवसूली

₹ 2.61 करोड़ की राशि का सांकेतिक कर न तो जमा करवाया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा 7,162 वाहन मालिकों से कर की वसूली करने हेतु कोई कार्रवाई ही की गई, जिसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की वसूली नहीं हो पाई।

यात्री व माल कर की अवसूली

विभाग ने 1,011 वाहनों के मालिकों से यात्री व माल कर की मांग नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 58.37 लाख के कर की वसूली नहीं हो पाई।

(ग) वन विभाग

वृक्षों की गलत/ कम लागत जमा करना

प्रयोक्ता अभिकरण ने परियोजना के संरक्षण में आने वाले विभिन्न प्रजातियों के 3,56,725 वृक्षों की लागत के संदर्भ में ₹ 277.19 करोड़ विभाग राजस्व शीर्ष के बजाय तदर्थ क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण खाते में जमा करवाए थे, जिसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की न्यूनोक्ति हुई।

रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

निगम ने 165 तथा 707 दिन के मध्य के विलंब से ₹ 2.65 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान किया, किन्तु विभाग द्वारा ₹ 51.69 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया गया/ की मांग नहीं की गई।

विद्युत व्यापार निगम ने एक अनुपूर्वक अनुबंध किया था, जिसने सरकार को सभी संयंत्रों पर वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी बनाया था, जबकि मूल अनुबंध के अनुसार इन प्रयोगों को विद्युत व्यापार निगम द्वारा बहन करना अपेक्षित था। परिणामतः दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन मुक्त पूर्ववत् प्रयोगों के संदर्भ में ₹ 26.26 करोड़ के राजस्व का परिचालन किया गया था।

विद्युत व्यापार निगम से बकाया/विलंबित अदायगी पर ₹ 99.90 लाख के अधिभार को मांग नहीं की।

विद्युत बिल कम दर पर जटिया गया अर्थात् सरकार द्वारा बाजरी दर को बचाव दर को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग से अनुमानित करवाया गया, जिससे ₹ 19.02 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(क) बड़े उद्योगों पर विद्युत विभागा

अन्य कर एवं कर-भ्रान्त प्रतिक्रिया

एक सड़क के निर्माण के दौरान हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के एक संविदाकार ने अक्षय रूप से 57 वृक्ष गिराए तथा अन्य अग्रणी न अक्षय रूप से 40 वृक्ष गिराए तथा 15 बीघा सरकारी भूमि का अधिग्रहण भी किया था। बाद वाले मामले में क्षेत्रीय स्टाफ को इन अग्रणी का पता नहीं चल पाया जो कि पांच वर्ष के उपरान्त उनके स्थान में तब आया, जब एक शिकारत प्रायज हुई। अग्रणी का समय पर पकड़ने तथा उन्हें पुलिस को प्रतिवेदित करने में क्षेत्रीय स्टाफ के स्तर पर बरती गई लापरवाही के परिणामस्वरूप ₹ 35.21 लाख के राजस्व की हानि हुई तथा 15 बीघा सरकारी भूमि का अधिग्रहण हुआ।

विभिन्न विद्युत उत्पादकों से प्राप्त सरकार के विद्युत शायर की लोका से देयों की वर्षों

वृक्षों का अक्षय कटाव तथा सरकारी भूमि का अधिग्रहण

(ख) उद्योग विभाग

अनिवार्य/न्यूनतम भाड़ा तथा
ब्याज की अवसूली/अल्पवसूली

छ: पट्टाधारियों ने अनिवार्य भाड़ा के संदर्भ में ₹ 4.37 लाख की
अदायगी नहीं की थी, क्योंकि उद्योग अपने पट्टा क्षेत्र में किसी उत्पाद
का निष्कासन नहीं किया। तीन पट्टाधारियों द्वारा पट्टा क्षेत्र के लिए
₹ 28.69 लाख के अनिवार्य भाड़ा की अदायगी करनी अपेक्षित थी,
किन्तु उद्योग केवल ₹ 21.02 लाख की अदायगी की थी। इसी प्रकार
वर्ष 2009-11 के लिए 50 पट्टाधारियों के संदर्भ में खनन पट्टे
संस्कारित किए गए थे। खनन पट्टों का नवीकरण किया गया था, किन्तु
उद्योग ₹ 4.15 लाख के न्यूनतम भाड़े की अदायगी नहीं की। तथापि
विभाग ने इन मामलों में कोई मांग सूचित नहीं की, जिसके
परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 16.19 लाख के राजस्व की वसूली नहीं
हो पाई।

आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित की विद्युत संचारण प्रयोज्यताओं की एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा राज्य सरकार की कम्पनियों के निगमित शासन पर एक विषयक लेखापरीक्षा के बारे में एक सामान्य विहंगावलोकन निहित है।

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई पर परिच्छेद सहित 12 परिच्छेद भी सम्मिलित है।

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के बारे में

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत की जाती है। सरकार की कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। ये लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु भी बाध्य होते हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सम्बन्धित विधानों के अन्तर्गत की जाती है। 31 मार्च 2012 को हिमाचल प्रदेश राज्य के पास 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं दो अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जिनमें 37,032 कर्मचारी नियुक्त थे। 30 सितम्बर 2012 को अंतिम रूप दिए गए अपने अद्यतन लेखों के अनुसार 2011-12 में क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 223.05 करोड़ की समग्र हानि उठाई तथा सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 1,360.45 करोड़ की संचित हानि हुई।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2012 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश ₹ 6,527.75 करोड़ था जो कि 2006-07 में ₹ 3,958.10 करोड़ से 64.92 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया। 2011-12 में विद्युत क्षेत्र ने कुल निवेश का 82.36 प्रतिशत से अधिक लेखांकन किया। 2011-12 के दौरान सरकार ने इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/ उपदान के प्रति ₹ 722.69 करोड़ का अंशदान किया।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2011-12 के दौरान 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 17.37 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 240.42 करोड़ की हानि उठाई। तीन क्रियाशील कम्पनियों ने अपने लाभ तथा

हानि लेखे तैयार नहीं किए हैं, जबकि एक कम्पनी ने निगमीकरण से अब तक अपने प्रथम लेखे तैयार नहीं किए हैं। लाभ में प्रमुख भागीदार हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (₹ 6.04 करोड़), हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (₹ 1.58 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (₹ 7.71 करोड़) थे। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 152.62 करोड़) तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 80.65 करोड़) ने भारी हानियां उठाईं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों में विभिन्न क्रमियों से हानियां बताई गई थी। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ₹ 2,980.43 करोड़ की हानियां बेहतर प्रबन्धन के साथ नियंत्रण योग्य था। इस प्रकार कार्यप्रणाली में सुधार तथा हानियां को कम / समाप्त करने की अत्यधिक सम्भावना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तभी अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक निभा सकते हैं, यदि वे वित्तीय रूप से स्वावलम्बी हों। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली में व्यवसायिकता तथा उत्तरदायित्वता की आवश्यकता है।

लेखे में बकाया तथा बन्द करना

सितम्बर 2012 तक दस क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 16 लेखे बकाया थे। एक अक्रियाशील कम्पनी ने वर्ष 2011-12 के अपने लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया था। अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम थे। सरकार अक्रियाशील कम्पनियों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शीघ्र बन्द करने की प्रक्रिया पर विचार करें।

लेखाओं की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 के दौरान अंतिम रूप दिए गए क्रियाशील कम्पनियों के 15 लेखाओं में से नौ लेखों ने अहर्ताप्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त किए, पांच लेखों ने प्रतिकूल प्रमाणपत्र प्राप्त किए तथा एक लेखा के सन्ध में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया था। लेखांकन मानकों की अनुपालना न करने के 45 दृष्टांत थे। वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के वर्ष 2011-12 के

लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा पूर्ण की गई थी तथा इनको अहर्ताप्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त हुए। कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में कई कमजोर क्षेत्रों को दर्शाया गया।

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश में विद्युत संचारण तथा ग्रिड प्रचालन का प्रबंधन एवं नियंत्रण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित द्वारा किया जाता है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित क्रमशः 3 दिसम्बर 2009 व 27 अगस्त 2008 में सम्मिलित किए गए। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित ने अभी तक विद्युत संचारण का कार्य आरम्भ नहीं किया था।

योजना एवं विकास

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का 31 मार्च 2007 को 2,362 मेगावोल्ट एम्पीयर तथा 2,186.450 सर्किट किलोमीटर के संचारण क्षमता सहित 32 अतिरिक्त उच्च वेग वाले उप-स्टेशनों का संचारण नेटवर्क था, जो 31 मार्च 2012 को 2,997 मेगावोल्ट एम्पीयर और 2,296.567 सर्किट किलोमीटर संचारण क्षमता सहित बढ़कर 35 अतिरिक्त उच्च वेग उप-स्टेशन हो गया। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित ने अभी तक अपना स्वयं का संचारण नेटवर्क नहीं बनाया है।

संचारण प्रणाली का परियोजना प्रबन्धन

परियोजनाओं की समय पर पूर्णता हेतु कार्य बल समिति द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित 2007-12 के दौरान बहुत से उप-स्टेशनों तथा लाइनों को समय पर निष्पादित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 99.62 करोड़ की अधिक लागत आई और ₹ 1,031.27 करोड़ के प्रत्याशित राजस्व की गैर वसूली हुई। दोनों कम्पनियों 31 मार्च 2012 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान नए उप-स्टेशनों, क्षमता परिवर्धन और अतिरिक्त उच्च वेग लाइनों को बिछाने के निर्माणार्थ लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्रमशः 57,59 एवं 51 प्रतिशत विफल रही।

संचारण प्रणाली का निष्पादन

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की समग्र संचारण क्षमता आवश्यकता से अधिक थी। 31 मार्च 2012 को संचारण क्षमता, 30 प्रतिशत अतिरिक्त को निकालकर, ₹ 28.04 करोड़ मूल्य की \$60.89 मेगावोल्ट एम्पीयर से अधिक निकाली जो उपभोक्ता पर डाला गया बोझ था। संचारण नेटवर्क में अतिरिक्त/व्यर्थ क्षमता की मौजूदगी तथा

चालू ओवरलोड, कुछ स्थानों पर उच्च वोल्टेज संचारण नेटवर्क के सृजन में अकुशल योजना को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 को समाप्त सभी पांच वर्षों के दौरान संचारण हानियों की प्रतिशतता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के मानकों से अधिक रही। कम्पनी को मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानकों की अधिकता में ₹ 46.81 करोड़ मूल्य के 114.12 मिलियन यूनिटों की कुल संचारण हानि उठानी पड़ी थी।

ग्रिड प्रबन्धन

संचारण की दक्षता के अनुश्रवण के लिए रिमोट टर्मिनल यूनिटों/ उप-स्टेशन प्रबन्धन प्रणालियां आवश्यक है। नौ 220 किलोवोल्ट उप-स्टेशन तथा नौ जनरेटर थे जिनमें से केवल आठ 220 किलोवोल्ट उप-स्टेशन (89 प्रतिशत) और चार जनरेटर (44 प्रतिशत) ही रिमोट टर्मिनल यूनिटों को मुहैया करवाए गए थे। इसके अतिरिक्त, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के पास कोई डाटा स्टोर करने अथवा बैकअप सुविधाएं नहीं थी, अतः केवल अवलोकन केन्द्र बन गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में स्थापित (अगस्त 2002) स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुसार सूचीबद्ध उत्पादन आदि के लिए उत्तरदायी है और गैर-अनुसूचित विनियम तन्त्र के अन्तर्गत गैर-अनुसूचित विकास की व्यवस्था करता है। यह देखा गया था कि स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने गैर-अनुसूचित विनियम दरों के अन्तर्गत 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 432.49 करोड़ मूल्य के 1,021.42 मिलियन यूनिट निकासी को अनुमत किया।

वित्तीय प्रबन्धन

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की हानि 2007-08 में ₹ 262.67 करोड़ से 2011-12 में ₹ 1,406.68 करोड़ होकर 435.53 प्रतिशत तक बढ़ गई (अनंतिम)। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित को 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 0.27 करोड़ से ₹ 4.09 करोड़ की हानि हुई (अनंतिम)। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की उधारियां 2007-08 में ₹ 2,300.27 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 4,177.79 करोड़ हो गईं।

इक्विटी में ₹ 334 करोड़ (2007-08) से ₹ 971.78 करोड़ (2011-12) की वृद्धि के कारण ऋण इक्विटी अनुपात 6.89:1 (2007-08) से घटकर 4.30:1 (2011-12) हो गया। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता चालू दायित्वों में ₹ 2,423.12 करोड़ (2007-08) से ₹ 2,733.98 करोड़ (2011-12) की वृद्धि के कारण 2007-08 में 5.47 से घटकर 2011-12 में (-) 6.44 रह गई।

कार्यचालन परिणाम

2007-12 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत सीमित की प्रति यूनिट राजस्व वसूली प्रति यूनिट लागत की तुलना में, जो अनुकूल अवधि के दौरान ₹ 3.82 से बढ़कर ₹ 4.96 (29.84 प्रतिशत) हो गई, ₹ 3.78 से बढ़कर ₹ 4.63 हो गई (22.49 प्रतिशत)। 2007-12 में लागत के मुख्य घटकों में कर्मचारी लागत तथा ब्याज एवं वित्त प्रभार थे, जो कुल लागत का क्रमशः 22.67 व 5.70 प्रतिशत निरूपित करते थे। विद्युत की बिक्री राजस्व का मुख्य घटक है जो कुल राजस्व (2011-12) का 96.82 प्रतिशत निरूपित करता है।

शुल्क निर्धारण

यद्यपि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता आवेदन दाखिल करने में विलम्ब नहीं हुआ था फिर भी वर्ष 2008-09, 2010-11 व 2011-12 हेतु शुल्क आदेशों को राज्य विद्युत विनियामक आयोग की टिप्पणियों के अनुपालन में विलम्ब के कारण प्रभावी तिथि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष का अप्रैल) के पश्चात् अनुमोदित किया गया था। राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इन वर्षों हेतु शुल्क के विलम्बित अनुमोदन ने 2008-09, 2010-11 व 2011-12 वर्षों में अप्रैल से जून के दौरान तीन महीनों हेतु कम्पनी के ₹ 161.85 करोड़ तक के नकदी प्रवाह को प्रभावित किया।

सिफारिशें

कम्पनी को आवश्यकता है:

- अधिक समय व लागत टालने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई हेतु अपूर्ण स्कीमों की प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा करना;
- एक दिन पहले विद्युत आवश्यकता की योजना वास्तविकता के आधार पर बनाना ताकि विद्युत की अधिक निकासी पर गैर-अनुसूचित विनिमय प्रभागों के भुगतान से बचा जा सके;

आठ कम्पनियों में वार्षिक सामान्य बैठकें करने में तीन से 30 महीनों का विलम्ब था। चार कम्पनियों में गैर-मौजूदगी पर सार्वभौमिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी टिप्पणी की गई थी। इसके अतिरिक्त, तीन कम्पनियों में 2007-08 से कम्पनी के कारोबार की प्रकृति एवं आकार के अत्यन्त लेखापरीक्षा प्रणाली की आठ कम्पनियों में वार्षिक सामान्य बैठकें करने में तीन से 30 महीनों का विलम्ब था। चार कम्पनियों में दौरान प्रत्येक में तीन बैठकें की थी।

2007-08, 2008-09 व 2010-11 के दौरान प्रत्येक में मात्र दो बैठकें और 2009-10 व 2011-12 के वार्षिक मण्डल की अधीन कूल चार वार्षिक बैठकों के प्रति हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने सीमित तीन कम्पनियों में वार्षिक मण्डल की बैठकें 27 दिनों से 146 दिनों के विलम्ब के पश्चात् की गई थी। सूचीकरण कार्रवाई के खण्ड 49 II (डी) के अन्तर्गत अधीन है।

लेखापरीक्षकों के साथ कोई चर्चा नहीं की गई जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 292 ए तथा अधीन वक आरम्भ नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा समिति द्वारा 2007-12 की अवधि के दौरान गैर-सूचीकरण की स्वीकृति निम्न 2002 में प्रदान की गई थी किन्तु सूची से निकालने की कोई कार्रवाई राज्य में हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित एक मात्र सूचीबद्ध कम्पनी है। यद्यपि कम्पनी के निर्माणलिखित हैं:

राज्य सरकार की कम्पनियों में निर्माण शासन की विषयक लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ लेखापरीक्षा परिणाम

3 विषयक लेखापरीक्षा

- आधुनिकता दायर करने के लिए कार्रवाई शुरू करना।
- शूल्क और प्रभावी की वसूली हेतु प्रथम वार्षिक राजस्व विनियामक द्वारा यथा निर्धारित स्टेट लीड डिसेंब सेक्टर के अधीन के कार्यों की छानबीन करना; तथा
- विनियामक आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत संवर्धन हानियों के उच्चतर हानियों वाले प्रत्येक फील्ड हेतु राज्य विद्युत के अत्यन्त प्रभावी का अधिष्ठापन करना;
- भ्रष्टाचार तथा ग्राहक करने वाले उप-स्टेशनों पर परीक्षण/हानि श्रेणियों के अत्यन्त प्रभावी लेखापरीक्षा को सुगम बनाने हेतु
- प्रभावी परीक्षण की पहल करना;
- उपभोक्ताओं से क्षमता परीक्षण तथा परिवर्धन एवं अनुसंधान प्रभावी के संवर्धन में लागतों की वसूली हेतु उपयुक्त और

(परिच्छेद 4.4)

वांच नहीं संघालित की, इसके परिणामस्वरूप ₹ 65.16 लाख की वांच फीस का अग्रदंडग्रहण हुआ।
संविधिक प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित उपायिका के प्रतिष्ठापन की आर्थिक

(परिच्छेद 4.3)

उपायिका से ₹ 1.70 करोड़ की अल्प बसूली हुई।
अनुसार कार्य आरम्भ करने से पूर्व पूर्ण अवसरवना लागत को बसूल करने में विफलता के परिणामस्वरूप
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2005 के

(परिच्छेद 4.2)

उपायिका को ₹ 2.48 करोड़ के अग्रविगत लागत का विस्तार किया।
अभिमुखित विद्युत आपूर्ति संहिता, 2009 के प्रावधानों के अनुसार मांग प्रथमों की बसूली न करके एक
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत सीमित ने उपायिकाओं को हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा
कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों की सूची नीचे दी गई है:

(परिच्छेद 4.11)

- एक मामले में अर्थात्/ वृद्धिपूर्व अग्रश्रवण के कारण ₹ 0.51 करोड़ की हानि।

(परिच्छेद 4.1, 4.9 व 4.10)

- तीन मामलों में अर्थात्की निर्णय के कारण ₹ 1.67 करोड़ की हानि।

(परिच्छेद 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 व 4.8)

की हानि।

- ठेकों के नियमों, निर्देशों, प्रक्रिया तथा शर्तों की गैर-अनुपालना के कारण सात मामलों में ₹ 8.09 करोड़

मुद्दातः निम्नलिखित प्रकृति की थी:

प्रबन्धन में कमियों को उजागर करती है, जो गम्भीर वित्तीय अभिपत्तियाँ बाली थी। हानि आनिपत्तितरुप
इस प्रतिवेदन में सीमितले लेन-देनों की लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के

(परिच्छेद 4.9)

परिहार्य होने लगे हैं।
के वस किया में सम्मिलित करके वर्सूल करने में विफल रही, इसके परिणामस्वरूप ₹ 68.46 लाख की
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की पंजाब राज्य द्वारा प्रभारित किए गए मोटर वाहन कर को यात्रियों

(परिच्छेद 4.8)

के द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित ने ठेकेदार को ₹ 2.61 करोड़ का अनुचित लाभ का विस्तार किया।
के शीघ्र सतकता आयोजन के दिशा-निर्देशों के अनुसार चलाने में आग्रह की समझौते तंत्र से वर्सूलों न करने

लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न विभागों से एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार 2011-12 के दौरान प्राप्त की गई निधियों तथा प्रतिवेदित व्यय कम्परा: ₹ 290.30 करोड़ तथा ₹ 280.95 करोड़ थी।

2007-12 के दौरान जिले में निधियों का कुल प्रवाह तथा किए गए व्यय का व्यापक अवलोकन निम्नलिखित आँकड़ों, एकीकृत वनजातीय विकास परियोजना, जी मूख योजना अधिकारी है तथा जिला ग्रामीण विकास आधिकारण जैसे अन्य जिला प्राधिकारियों में से किसी के पास उपलब्ध नहीं था।

वित्तीय प्रबंधन

जैसा कि भारत के संविधान के 74वें संशोधन में अधिदेश दिया गया है, जिले में जुलाई 2012 तक जिला योजना समिति स्थापित नहीं की गई थी। पर्याप्त स्वच्छ जिले के विकास के लिए खण्डों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य पणधारियों से प्राप्त की गई सूचना की संरचनात्मक प्रक्रिया पर आधारित कोई सापेक्ष योजना तथा एकीकृत वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी।

जिला योजना

जिला योजना समिति तथा

निम्नलिखित है:

सुरक्षा कार्यक्रमों में पाठ जाने वाली कर्मियों का निर्धारण करना है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परियोजनाओं का संरक्षण एकीकृत वार्षिक योजना को बनाना तथा जिले में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न विकाससामक तथा सामाजिक से संबंधित खण्डों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य पणधारियों से सूचनाओं पर आधारित जिले के लिए सापेक्ष तथा तथा, कुल क्षेत्र ऐसे भी ख खंडों तथा/जिला प्रशासन को अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इनमें

से सम्बन्धित कार्यक्रमों के बहुर से सरकारात्मक मामले सामने आए।

लेखापरीक्षा में शिक्षा, जलापूर्ति एवं ग्रामीण विद्युतीकरण से सम्बन्धित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र

करने के लिए किन्हीं जिलों की जिला केन्द्रस्थ लेखापरीक्षा की गई।

2007-12 के दौरान जिले में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तथा विकाससामक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कार्य स्थिति व प्रभाव का निर्धारण करने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, का मूल्यांकन

किन्हीं जिलों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मार्च 2012 तक 392 बास-स्थानों में से 93 प्रतिशत बास-स्थान पूर्णतः आवृत थे तथा बास प्रतिशत बास-स्थान अतिरिक्त रूप से आवृत थे। विभागीय स्तर पर पर्याप्त पर्यवेक्षण के अभाव के कारण जलार्पित स्कीमों के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ था। जिले में लोगों की असुरक्षित जल की आपूर्ति की जा रही थी क्योंकि अर्थाक्षत जल नमूना परीक्षण कारवाकर लामाधिधियों को जल की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप जिले में जल-जानत लोगों के मामलों की पर्याप्त संख्या देखने में आई।

जलपूर्ति

अनुपूरक योजनाओं के अंतर्गत लामाधिधियों की आवृत्ति निर्धारित लक्ष्यों के निकट थी, क्योंकि मात्र एक से छः प्रतिशत गर्भवती तथा बच्चों का पालन करने वाली महिलाएँ और एक से दो प्रतिशत बच्चे कमथः 2007-09 व 2007-10 के दौरान आवृत नहीं किए गए थे। तथापि, निजी परिसरों में चलाने जा रहे 46 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में रसोई, यौवालय, गोदाम, आदि वैसे पर्याप्त अवसरपूर्वक सुविधाओं का अभाव था, क्योंकि 2007-12 के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कोई निधियाँ उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

सेवाएँ

जिला में एकीकृत बाल विकास

शिक्षा तथा स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित सेवाओं के लिए सुविधाएँ तथा सुविधाएँ संबंधित जनक नहीं थी तथा मानववर्षिक भी मानकों के अनुसार नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप अनेक विकास सुविधाएँ प्रदान करने में तथा स्कूलों में बच्चों के प्रतीकरण में कमी आई। शिक्षा तथा स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित सेवाओं के लिए सुविधाएँ अत्यधिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों (कक्षा VIII के स्तर तक) की पर्याप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों (कक्षा VIII के स्तर तक) की बच्चों के प्रतीकरण में महत्वपूर्ण कमी आई। जिले में कक्षा IX से XII में संख्या स्थिर रही किन्तु इन स्कूलों में 6-14 वर्षों के लक्षित आयु समूह में पर्याप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों (कक्षा VIII के स्तर तक) की बच्चों के प्रतीकरण में महत्वपूर्ण कमी आई। जिले में कक्षा IX से XII में पर्याप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों (कक्षा VIII के स्तर तक) की बच्चों के प्रतीकरण में महत्वपूर्ण कमी आई। जिले में कक्षा IX से XII में संख्या स्थिर रही किन्तु इन स्कूलों में 6-14 वर्षों के लक्षित आयु समूह में पर्याप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों (कक्षा VIII के स्तर तक) की बच्चों के प्रतीकरण में महत्वपूर्ण कमी आई।

बच्चों का प्रतीकरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विधिनुसार जिले में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ उपलब्ध नहीं थी। तथा 31 उप-केन्द्र थे। लेखापरिष्कार के लिए व्ययित केन्द्रों में मूलभूत दो अस्पताल, चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वाली कमियाँ के निर्माण की प्रक्रिया की अभी भी किया जाना है। जिले में आर्यव्यवस्थाओं तथा अवसरपूर्वक, उपकरण, मानववर्षिक आदि में पाई जाने वाली कमियाँ के निर्माण की प्रक्रिया की अभी भी किया जाना है। जिले में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ उपलब्ध नहीं थी।

सेवाएँ

जिला में स्वास्थ्य देखभाल

स्वच्छता एवं मल व्यवस्था

जिले में कोई शहरी क्षेत्र नहीं है। तथापि, जिला मुख्यालय (रिकांगपिओ) में मल व्यवस्था सुविधा है। तहसील मुख्यालय, सांगला में मल व्यवस्था सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अगस्त 2007 में अनुमोदित एक स्कीम उपचार संयंत्र के लिए स्थल का विकास न करने के कारण जून 2012 तक अपूर्ण रही।

सड़क संपर्क

जिले में 27 प्रतिशत गांवों को अभी सड़क सुविधा उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है; वन/ निजी भूमि का अधिग्रहण मुख्य अड़चन है। समय पर सड़कों के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु भूमि विवादों को सुलझाने के लिए व्यवहार्य तंत्र के अभाव में जिले के सभी गांवों के लिए सड़क सम्पर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार सृजन

जिला सापेक्ष योजना के अभाव में दीर्घकालीन रोजगार सृजन तथा सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए जिस प्रकार के निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाना चाहिए था, की शिनाख्त नहीं की गई थी। यद्यपि, जिला में 2008-12 के दौरान वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी, किन्तु वार्षिक योजनाओं की उपेक्षा करते हुए निर्माण कार्यों का अनुमोदन खण्डशः किया गया तथा 1937 निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ₹ 17.05 करोड़ का व्यय किया गया। इसके फलस्वरूप निर्माण कार्यों का तदर्थ आधार पर अनायोजित निष्पादन हुआ। यह पाया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित विधि से मस्टर रोलों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था, तथा जीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कामगारों को पन्द्रह दिन की निर्धारित अवधि के भीतर मजदूरी की अदायगी नहीं की थी।

ई-गवर्नेंस सुविधाएं

तहसील से जिला स्तर तक प्रदान की जाने वाली प्रकल्पित 33 से 37 मुख्य सेवाओं के प्रति जुलाई 2012 तक जिला के सुगम केन्द्रों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन सहित केवल दो से सात मुख्य सेवाएं प्रदान की जा रही थी।

मानवशास्त्रिक की कमी आठ से 51 प्रतिशत के मध्य थी। स्वास्थ्य विभाग में मानवशास्त्रिक की कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी, जिसका जिले की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यमान है।

विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण तथा पदचालक था, जिससे विभिन्न विभागों/ कार्यालय अनुश्रवणों द्वारा किए जा रहे विकासोन्मुख कार्यों/ परिवर्तनों को प्रगति प्रभावित कर रहे हैं।

स्कीमों का अनुश्रवण तथा पदचालक

मानव संसाधन प्रबंधन

के लोगों का निष्पक्ष संतोष स्तर इंगित हुआ।

व सौदे मेंस की उपलब्धता तथा लोक सुविधाओं आदि, के संदर्भ में जिला प्राप्त हुए उत्तरों से जिले में सड़कों की स्थिति, बस सेवाओं, पेय जलपूर्ति ब्यालीस ग्राम पंचायतों में से बरनिन 20 से लेखापरीक्षा प्रयोज्यताओं के

जिला में स्कीमों तथा सेवाओं का प्रभाव

में, इसमें 98 प्रतिशत की कमी थी।

पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं की गई थी तथा 7.62 एमएम0 राइकल्स के मामले अवसरानाएं ध्यान में आईं। इसके अतिरिक्त, शस्त्रों की आवश्यकता की जिला पुलिस मुख्यालय में अर्थात् आवास सुविधाएं तथा अन्य कार्गुन और व्यवस्था

कार्गुन और व्यवस्था

